UPJL010028902026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 313/2026
प्रिन्स गुर्जर प्रति राज्य उत्तर प्रदेश
मुकदमा संख्या 2528/2026
सरकार प्रति प्रिन्स गुर्जर
अपराध संख्या–02/2025
धारा 13(2)(3)(4)(5) उ0 प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2024 व धारा 319(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023
थाना कोतवाली कोंच, जिला जालौन।

06.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त प्रिन्स गुर्जर पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम पजौनिया, थाना रेंढ़र, जिला जालौन की ओर से मुकदमा संख्या 2528/2026 सरकार प्रति प्रिन्स गुर्जर अपराध संख्या 02/2025 धारा 13(2)(3)(4)(5) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2024 व धारा 319(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 थाना कोतवाली कोंच, जिला जालौन के प्रकरण में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा सम्बन्धित पत्रावली का परिशीलन किया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 01.01.2025 को वादी मुकदमा एस.पी. सिंह द्वारा थाना कोतवाली कोंच जिला जालौन में इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी की विषम सेमेस्टर परीक्षा 2025 में मथुरा प्रसाद महाविद्यालय कोंच को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है। दिनांक 01.01.2025 को तीसरी पाली में कक्षा बी.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर विषय फूड न्यूट्रिशन हाइजीन कोड 14102 का प्रश्नपत्र था, जिसमें कक्ष संख्या 04 में परीक्षार्थी प्रिंस गुर्जर पुत्र इन्द्रपाल सिंह रोल नम्बर 62724101009 के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति परीक्षा देते हुए कक्ष निरीक्षक द्वारा पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति के अनुसार उसका नाम रितिक राज गुर्जर पुत्र इन्द्रपाल सिंह पता पजौनिया, रेंढ़र मोबाइल नम्बर 9140066841 है। आपसे अनुरोध है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार शिकायत दर्ज कर कार्यवाही करने का कष्ट करें। उपरोक्त तहरीर के आधार पर दिनांक 01.01.2025 को ही थाना कोतवाली कोंच जिला जालौन में अपराध संख्या 02/2025 पर धारा 6 व 10 उ0 प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरान्त संकलित साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में धारा 13(2)(3)(4)(5) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का

Digitally signed by SATISH CHANDRA DWIVEDI
Date: 2026.06.08 12:42:02 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

निवारण) अधिनियम 2024 व धारा 319(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में इस आशय का अभिकथन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी अपने छोटे भाई रितिक राज गुर्जर के साथ कोंच परीक्षा दिलाने आया था, विलम्ब से आने के कारण विद्यालय के स्टाफ से प्रवेश को लेकर कहासुनी हो गयी थी और प्रार्थी को स्टाफ के दबाव में न आने के कारण प्रार्थी व उसके भाई पर झूठे आरोप लगाकर गलत फसाया गया है। प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 6, 10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया, बाद विवेचना धारा 6, 10 का अपराध न पाये जाने के कारण धारा 13(2)(3)(4)(5) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 व धारा 319(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता में आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी/अभियुक्त को कक्ष निरीक्षक द्वारा पकड़ना बताया गया है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट एस0पी0 सिंह केन्द्राध्यक्ष मथुरा प्रसाद विद्यालय कोंच के द्वारा दर्ज करायी गयी है, जो परीक्षा में पर्यवेक्षक बनाये गये थे, इससे स्पष्ट है कि घटना मनगढन्त एवं फर्जी है। प्रार्थी/अभियुक्त को परीक्षा केन्द्र के कक्ष संख्या 04 में पकड़ना बताया गया है, कक्ष संख्या 04 के किसी परीक्षार्थी को गवाह नहीं बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाये गये आरोप में न्यूनतम 7 वर्ष तक की सजा का प्राविधान होने के कारण विवेचक द्वारा दौरान विवेचना धारा 35(2)बी.एन.एस.एस. के तहत जमानत पर छोड़ा गया था। प्रार्थी/अभियुक्त ने विवेचना में पूर्ण सहयोग किया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गई है।

5. राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गई है।

6 मेरे द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी, थाने की आख्या एवं अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आरोप है कि दिनांक 01.01.2025 को बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी की विषम सेमेस्टर परीक्षा 2025 में परीक्षा केन्द्र मथुरा प्रसाद महाविद्यालय कोंच में तीसरी पाली में कक्षा बी.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रार्थी/अभियुक्त प्रिंस गुर्जर के स्थान पर उसकी सहमति से एक अन्य व्यक्ति को परीक्षा देते हुए कक्ष निरीक्षक द्वारा पकड़ा गया। अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसे दौरान विवेचना धारा 35(2)बी.एन.एस.एस. के तहत जमानत पर छोड़ा गया था तथा प्रार्थी/अभियुक्त ने विवेचना में पूर्ण सहयोग किया है। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा स्वयं न्यायालय में आत्मसर्मण किया गया है तथा दौरान विवेचना उसे विवेचक द्वारा जमानत पर रिहा किया गया था। प्रकरण में सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सत्येन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी0बी0आई0 एवं अन्य में दी गयी विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए,

प्रकरण के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, मेरे विचार से प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त प्रिन्स गुर्जर पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम पजौनिया, थाना रेंढ़र, जिला जालौन की ओर से मुकदमा संख्या 2528/2026 सरकार प्रति प्रिन्स गुर्जर अपराध संख्या 02/2025 धारा 13(2)(3)(4)(5) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2024 व धारा 319(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 थाना कोतवाली कोंच, जिला जालौन के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 313/2026, स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पचास हजार रूपये की धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि की दो जमानतें सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों पर जमानत पर छोड़ा जाता है कि:

(I) प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा विचारण न्यायालय के समक्ष उन समस्त तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा, जिन तिथियों पर उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने की अपेक्षा की जायेगी।

(II) प्रार्थी/अभियुक्त गवाहों को डरायेगा धमकायेगा नहीं, न ही किसी भी प्रकार से उन्हें प्रभावित करेगा।

(III) यदि प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करता है या बिना किसी कारण के वह अनुपस्थित होता है, तो न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने हेतु विधि अनुसार आदेश पारित करेगी।

दिनांक– 06.06.2026

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई।
जे.ओ. कोड यू.पी. 6064